

अधिसूचना

खेलकूद विभाग की अधिसूचना संख्या-69/VI-2/2015-33(07)2014, दिनांक 16 जनवरी, 2015 द्वारा राज्य में खेलों को बढ़ावा देने, आधारभूत खेल सुविधायें विकसित करने, खेलों में जन भागीदारी को बढ़ावा देने, खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को अधिकाधिक संख्या में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित करने, युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देते हुये उनको रचनात्मक कार्य हेतु प्रोत्साहित करने आदि हेतु पूर्व में प्रख्यापित "उत्तराखण्ड राज्य की खेल नीति-2014" को तत्काल प्रभाव से अतिक्रमित करते हुये नवीन "खेल नीति-2021" को "परिशिष्ट-क" के अनुसार प्रख्यापित किये जाने की "श्री राज्यपाल महोदय" सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- यह अधिसूचना वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-241(MO)/XXVII(3)/2020-21, दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत की जा रही है।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

(गिरधारी सिंह रावत)

अपर सचिव

संख्या-938/VI-3/2021-33(07)2014, तददिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 खेल मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. निजी सचिव, सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के पत्र दिनांक 24 नवम्बर, 2021 के क्रम में संज्ञानार्थ।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
7. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
8. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त के क्रम में अनुपालनार्थ प्रेषित।
11. समस्त जिला कीड़ा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. अनुभाग अधिकारी, वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
13. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
14. निदेशक, राजकीय प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित करते हुए इसकी 100 प्रतियां खेल विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि राज्य में "खेल नीति-2021" को एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
16. गार्ड फाईल।

(गिरधारी सिंह रावत)
अपर सचिव।

“परिशिष्ट-क”

खेल नीति-2021

ड्राफ्ट



उत्तराखण्ड शासन

खेल विभाग, उत्तराखण्ड

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड राज्य में शारीरिक गतिविधियां एवं खेलकूद राज्य की संस्कृति एवं समाज का अभिन्न अंग है यह युवा उर्जा को अर्थपूर्ण प्रयोजनों हेतु एवं उत्पादकता को बढ़ाने हेतु प्रभावी युक्ति है। खेलकूद एवं शारीरिक गतिविधियों से, न केवल स्वास्थ्य वरन् सामाजिक समरसता, आर्थिक गतिविधियां, सांस्कृतिक संवर्धन एवं जीवन स्तर को बेहतर करने में उपयोगी है।

राज्य सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के निवासियों के मध्य शारीरिक गतिविधियों एवं खेलकूद से होने वाले लाभ के प्रति जागरूकता बढ़ायें। राज्य सरकार **“सभी के लिए खेल- सभी के लिए स्वास्थ्य”** के मूल मंत्र को प्राप्त करने हेतु कटिबद्ध है।

राज्य में जनसंख्या के दृष्टिगत आनुपातिक रूप से युवाओं का प्रतिशत अधिक है अतः युवाओं की उर्जा को खेल संस्कृति में डाल कर प्रतिस्पर्धात्मक खेल भावना को विकसित किए जाने की आवश्यकता है ताकि समाज, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं का सकारात्मक रूप सामने आ सके। राज्य सरकार राज्य निर्माण के उपरान्त से ही राज्य में शारीरिक एवं खेल गतिविधियों को बढ़ाये जाने हेतु प्रयासरत् रही है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य में खेलों को बढ़ावा देने एवं खेलों हेतु अवस्थापनात्मक सुविधाओं हेतु कई क्रांतिकारी कदम उठाने का निर्णय लिया गया है, परन्तु इस क्षेत्र में और अधिक कार्य किये जाने की आवश्यकता है इसलिये नई खेल नीति का निर्माण प्रासंगिक हो जाता है।

नई खेल नीति का उद्देश्य फिट इण्डिया, खेलों इण्डिया और अन्य राष्ट्रीय खेल एवं शारीरिक संवर्धन योजनाओं के साथ, राज्य की पूर्व से प्रचलित योजनाओं एवं विकास को समन्वित करते हुए ऐसे कदम उठाना है, जो न केवल राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण होंगे वरन् युवाओं की ऊर्जा एवं खेलों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण होनहार खिलाड़ियों को उच्चतम अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी महत्वपूर्ण होंगे। राज्य सरकार का प्रयास होगा कि विभिन्न विभागों, खेल संघों, खेल प्रेमियों एवं खेल जगत से जुड़े लोगों की समेकित उर्जा, सुविधाओं, अवसर एवं प्रोत्साहन का लाभ राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्राप्त हो सके।

खेल नीति के माध्यम से खेलों में उच्चतम नैतिक मूल्यों, डोप मुक्त खेल, पारदर्शिता, समान अवसर एवं समयबद्धता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा तथा यह भी प्रयास किया जाएगा कि समस्त युवाओं को उनकी पसन्द का कम से कम एक खेल खेलने का अवसर प्राप्त हो सके।

✓

खेल नीति के उद्देश्य

खेल नीति का उद्देश्य मुख्यतः दो विषयों को समावेशित करता है:-

खेल नीति

सभी के
लिए खेल

खेलों में
उत्कृष्टता

1. सभी के लिए खेल
2. खेलों में उत्कृष्टता

समस्त खेलों को निम्न पांच विस्तृत तथ्यों में विभक्त कर वर्णित किया जा सकता है

प्रारंभिक खेल

उत्तराखण्ड राज्य के निवासियों को खेलों की मूलभूत जानकारी के साथ-साथ उन्हें विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु तैयार करना।

मनोरंजनात्मक खेल

उत्तराखण्ड राज्य के निवासियों को मनोरंजनात्मक खेलों के साथ स्वास्थ्य, तनाव मुक्ति एवं सामाजिक सहजता हेतु खेलों की सुविधा उपलब्ध करना।

प्रतिस्पर्धात्मक खेल

उत्तराखण्ड राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों के खेल कौशल को चरणबद्ध रूप से विकसित करते हुये उन्हें विभिन्न प्रतियोगिताओं में उनके उच्च प्रदर्शन हेतु तैयार करना एवं उन्हें खेलों के वैज्ञानिक विधियों, नैतिक एवं शारीरिक मानकों के अनुप्रयोग हेतु तैयार करना।

उच्च क्षमता खेल

उत्तराखण्ड राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च प्रदर्शन करने हेतु स्तरीय आधारभूत खेल सुविधाएँ, वैज्ञानिक विधियों एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध करना।

विकास हेतु खेल

खेलों को सामाजिक आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जायेगा जो देश एवं विदेश में सकारात्मक मूल्यों के संवर्धन हेतु महत्वपूर्ण होंगे।

समेकित रूप से नीति के उद्देश्य को निम्नरूप में परिभाषित किया जा सकता है:-

1. राज्य में उच्च नैतिक मूल्यों, साहचर्य की भावना, नेतृत्व की शक्ति द्वारा खेल संस्कृति को विकसित करना।
2. राज्य के युवाओं का E-culture से P-culture की ओर लेकर जाना।
3. खेलों में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना एवं नागरिकों को खेलों में प्रतिभाग किये जाने हेतु समान अवसर प्रदान करना।
4. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अवस्थापनात्मक संरचनाओं को विकसित करना, रख-रखाव करना एवं उनका अनुकूलतम उपयोग करना।
5. प्रतिभावान खिलाड़ियों को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु प्रशिक्षित करना एवं प्रोत्साहित करना।
6. राज्य में खेल भावना एवं खेल संस्कृति विकास हेतु अन्तर्विभागीय सहयोग से जागरूकता प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं का संचालन।
7. शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों में खेल संबंधी आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने पर विशेष बल देना।
8. जीवंत युवा ऊर्जा को खेल गतिविधियों एवं शारीरिक योग्यता के माध्यम से सकारात्मक दिशा देना।
9. खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को पहचानना, तराशना एवं उन्हें उच्च स्तरीय प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित करना उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराना।
10. दिव्यांगों की विशेष जरूरतों की पहचान कर उनकी खेलों में अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करना एवं उन्हें खेल आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना।
11. उत्तराखण्ड राज्य में साहसिक खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रयास करना एवं पर्यटन को आकर्षित करने हेतु विविध साहसिक खेल संबंधी गतिविधियों को आगे बढ़ाना।
12. राज्य को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की पदक तालिका में उच्च स्तर प्राप्त करने हेतु खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत सुविधाओं के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हुये उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिशा प्रदान करना।
13. खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता निर्माण हेतु स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
14. राज्य क्रीड़ा संघों को खेलों के विकास हेतु समुचित सहयोग एवं सुविधायें उपलब्ध कराना।
15. खेलों में वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण की आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ खेल विज्ञान के तथ्यों को सम्मिलित करना।



दृष्टिकोण

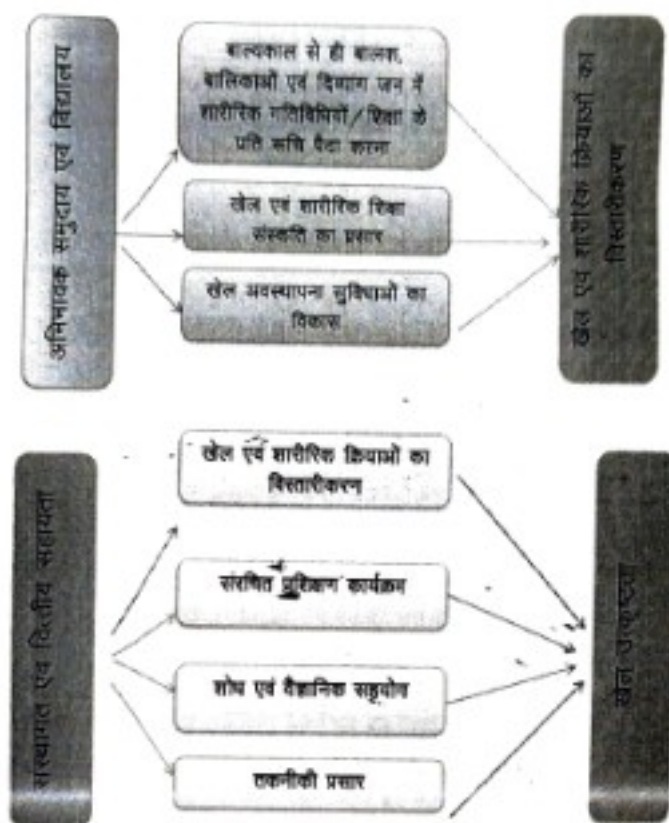
1. राज्य में खेलों का संवर्द्धन खेलों से जुड़े सभी घटकों यथा राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, संस्थाएँ, शैक्षिक संस्थान, पंचायत, खेल संघ एवं खिलाड़ी के समन्वित प्रयासों से प्राप्त किया जायेगा।
2. खेलों के उन्नयन हेतु अद्योगामी तकनीकी का प्रयोग किया जायेगा। इसके अन्तर्गत स्थानीय खेल सुविधाओं के संवर्द्धन के साथ-साथ विभिन्न स्तरों पर आवश्यकता-आधारित विकास दृष्टिकोण अपनाने पर विशेष बल दिया जायेगा।
3. खेल विभाग, खेल सुविधाओं एवं अवसंरचनाओं की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ उन्हें जनसामान्य, खिलाड़ियों, महिलाओं, वेटरन एवं दिव्यांग खिलाड़ियों की सुलभ पहुँच हेतु आवश्यक कार्य करेगा।
4. खेल विभाग अपनी विभिन्न इकाइयों, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं खेल संघों के माध्यम से बाल्यकाल से ही खेल प्रतिभाओं को पहचानने का कार्य करेगा एवं प्रतिभा के सादृश्य खेल हेतु उन्हें प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रशिक्षण उनके गृह क्षेत्र में एवं तृतीयक प्रशिक्षण उच्च स्तरीय चयनित प्रशिक्षण केन्द्रों में उपलब्ध करायेगा।
5. सरकार खेलों को व्यावहारिक रोजगारपरक और अधिक आकर्षक अर्थक्षम बनाने हेतु एकीकृत व्यवस्था विकसित करेगी जिसमें खेल विकास की योजनाओं, उनकी पूर्ण परिभाषित संरचना के विश्वसनीय कार्यक्रम का समावेश किया जायेगा। इस हेतु खेल विभाग लक्ष्य मूलक एवं समयबद्ध कार्य योजना तैयार करेगा।
6. खेल विभाग द्वारा भारत सरकार के खेल मंत्रालय एवं भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों को इस खेल नीति एवं खेल विभाग अन्तर्गत संचालित विभिन्न खेल योजनाओं के अन्तर्गत प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य के परम्परागत खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु भी खेल विभाग अन्तर्गत योजना संचालित की जायेगी।
7. खेल विधाओं को प्रचलन के आधार पर तीन श्रेणियों में परिभाषित किया जायेगा।
(क) कोर खेल विधायें—ओलम्पिक, एशियन खेल, राष्ट्रमण्डल खेल में खेले जानी वाली खेल विधाओं एवं भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों से सम्बन्धित खेल विधायें।
(ख) गैर कोर खेल विधायें— भारत सरकार खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त खेल (भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त को छोड़कर)।
(ग) परम्परागत खेल — राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर चिन्हित परम्परागत खेल।
8. खेल विभाग योजना एवं कार्यक्रमों को अगले 5-10-15 वर्षों हेतु ऐसे परिणाममूलक संकेतांकों को परिभाषित करेगा जो खेल विशेष आधारित होंगे जिनमें अगले 5-10-15 वर्ष में उन खेलों में विशिष्ट स्थान प्राप्त करने हेतु संकेतांकों को परिभाषित किया जाएगा।
9. ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न खेलों की ग्राम से राज्य स्तर तक के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग की सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी जिससे प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी खेल संस्कृति का विकास हो सके एवं युवा ऊर्जा को सकारात्मक दिशा मिल सके।

10. राज्य में स्थान विशेष (भौगोलिक एवं खेल की लोकप्रियता) के आधार पर विभिन्न स्थानों पर, सम्बन्धित खेल को स्थानीय स्तर पर प्रश्रय दिया जाएगा एवं उस क्षेत्र को खेल विशेष के 'हब' के रूप में विकसित किया जाएगा।
11. खेल विभाग से इतर अन्य विभागों यथा युवा कल्याण, पंचायत, शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं पुलिस आदि में उपलब्ध खेल अवस्थापनाओं को उच्चकृत करते हुए उनके जनसामान्य एवं खिलाड़ियों द्वारा अनुकूलतम उपयोग किए जाने हेतु प्रयास किया जायेगा।
12. खेलों को प्रोत्साहित करने एवं खिलाड़ियों के मनोबल को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु खिलाड़ियों को उनके विभिन्न स्तर की उपलब्धियों के आधार पर उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा।
13. राज्य में खेल पर्यटन की अपार सम्भावनाएँ हैं इस हेतु चयनित स्थलों को खेल पर्यटन अनुरूप विकसित किया जाएगा।
14. विगत कुछ वर्षों में खेलों में वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग बढ़ा है अतः राज्य के खिलाड़ियों को खेल विज्ञान एवं उससे जुड़ी हुई तकनीकों की जानकारी हेतु 'खेल विज्ञान केंद्र' की स्थापना की जाएगी जिसमें खेलों के वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक एवं चिकित्सकीय पहलुओं पर प्रशिक्षण के साथ-साथ शोधकार्य भी किया जाएगा।
15. खेल क्षेत्र में रोजगार की बढ़ती सम्भावनाओं के दृष्टिगत इस क्षेत्र में वर्तमान में प्रचलित विभिन्न कार्य यथा खेल पत्रकारिता, खेल फोटोग्राफी, कमेंट्रीटर, खेल प्रबंधन, एवं खेल सामग्रियों से जुड़े विनिर्माण आदि से जुड़े क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

[Handwritten signature]

कार्ययोजना

खेल नीति का उद्देश्य है कि उत्तराखण्ड राज्य में सभी के समेकित प्रयासों से राज्य के नागरिकों में शारीरिक फिटनेस के साथ-साथ खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए ताकि राज्य का नाम वैश्विक खेल पटल पर स्थापित हो सके।



खेल नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना निम्न चरणों में विभक्त है:-

- जागरूकता कार्यक्रम
- योग कार्यक्रमों का समावेश
- खेल विधाओं का चयन
- खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास
- प्रतिभा श्रृंखला विकास
- खेल प्रशिक्षण प्रबंधन
- खेल प्रतियोगिताएं
- खिलाड़ियों को प्रोत्साहन
- खेल जीवन वृत्ति के रूप में
- निजी क्षेत्र की सहभागिता

1. खेल संस्कृति विकास हेतु जागरूकता कार्यक्रम

प्रदेश में खेल संस्कृति एवं खेलों के प्रति रुचि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि खेलों के प्रति व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाये जिससे खेलों से समाज नागरिकों पर होने वाले सकारात्मकता प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ सके।

• स्वास्थ्य

खेल शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य में विकास हेतु महत्वपूर्ण होता है इससे न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं शारीरिक विकास होता है वरन् नशे की प्रवृत्ति, हिंसा आदि मनोवृत्तियों को भी नियंत्रित करने के साथ ही सकारात्मक उर्जा वृद्धि में सहायक होता है। इससे सामाजिक जीवन शैली को बल प्राप्त होता है फलस्वरूप समावेशी उत्पादकता बढ़ती है।

• शिक्षा एवं खेल

खेल के साथ मानव का मानसिक विकास संभव होता है जिससे अंकीय एवं साक्षरता जैसे कौशल में विकास होता है जिस कारण अकादमीय प्रदर्शन में सुधार दृष्टिगत होता है और विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी आती है खेल व्यक्तिगत प्रदर्शन को बेहतर कर मानव के सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं।

• नेतृत्व एवं टीमवर्क

खेलों के माध्यम से नागरिकों को समुदाय से जोड़ने में सहायता प्राप्त होती है खेल भावना में निहित टीम वर्क, नेतृत्व, कुशलता एवं सहभागिता भी मानव जीवन में महत्वपूर्ण होती है। खेलों से नेतृत्व, टीम भावना, स्वयंसेवा जैसे गुण विकसित होते हैं जो सामुदायिक विकास हेतु महत्वपूर्ण उपकरण सिद्ध होते हैं।

• समावेशी समाज

खेलों के माध्यम से सामाजिक समरसता बढ़ाने से अन्तर्वैयक्तिक एवं अन्तर् समुदाय, सामंजस्यता का विकास होता है जिसे मानव की आत्मछवि के साथ सम्पूर्ण समुदाय पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। प्रभावशाली समाज के पिछड़े वर्गों को समावेशित करते हुए सम्पूर्ण सामाजिक विकास में सहायता प्राप्त होती है।

राज्य में शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के प्रति संस्कृति विकसित किए जाने हेतु विभिन्न विभागों के माध्यम से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा जिससे समाज के सभी वर्गों को जोड़ते हुए खेल से होने वाले लाभ एवं तत्स्वरूप स्वास्थ्य संवर्धन के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी एवं शिक्षा और बाल विकास विभाग के विशेष सहयोग से सभी को खेल मैदान तक लाने एवं योग को अपनाने का प्रयास किया जाएगा। इस हेतु 'खेल-खेल में' अभियान चलाया जाएगा।

2. योग कार्यक्रमों का समावेश

योग ने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य सुदृढ़ करने में अपना स्थान सिद्ध किया है। आज यौगिक क्रियाओं को विश्व में बहुत से देशों में शारीरिक स्वास्थ्य हेतु अपनाया जा रहा है। भारत में योग का केन्द्र बिन्दु है। उत्तराखण्ड राज्य से योग का पुरातन नाता रहा है एवं योग को सीखने देश-विदेश से लोग उत्तराखण्ड आते हैं।

राज्य में शारीरिक फिटनेस बनाये रखने हेतु योग का सभी आयुवर्ग के नागरिकों को अपनाने पर बल दिया जाएगा। योग के लाभ यथा Increased Flexibility, Increased Muscle Tone & Strength, Improve Respiration, Balanced Metabolism, Weight Reduction, Cardio-circulatory Health को देखते हुए खिलाड़ियों एवं नागरिकों में शारीरिक, मानसिक एवं आत्मीय रूप से सकारात्मक प्रभावों को प्राप्त करने हेतु योग का विस्तार सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी व्यापक स्तर पर किया जाएगा।

- खिलाड़ियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से योग कार्यक्रमों को जोड़ा जाएगा। इस हेतु खेल विभाग पृथक से कार्ययोजना निर्गत करेगा।
- विद्यालयों में योग को शिक्षा कार्यक्रम के साथ जोड़ने का प्रयास किया जायेगा। इस हेतु शिक्षा विभाग पृथक से कार्ययोजना निर्गत करेगा।
- सभी जिला मुख्यालयों के खेल स्टेडियम में योग के प्रशिक्षण एवं अभ्यास हेतु सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
- नगरीय निकायों द्वारा समुदाय के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य संवर्धन हेतु सामुदायिक केन्द्रों/पार्कों में योग सम्बन्धी सुविधाएं विकसित की जायेगी।
- प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से विशेष योग शिविर आयोजित करने के प्रयास किए जाएंगे।

3. खेल विधाओं का चयन

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता के आधार पर समस्त खेल विधाओं को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है, श्रेणी आधार पर ही उपलब्ध संसाधनों को उन खेलों में उच्चतम स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जायेगा।

• उच्च प्राथमिकता

इस श्रेणी में ऐसे खेलों को सूचीबद्ध किया गया है जिनमें वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी मानकों को प्राप्त करने की क्षमता है एवं इन खेलों में एकल अथवा टीम खेलों में भविष्य में पदक जीतने की संभावना है। राज्य सरकार इन खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को खेल विज्ञान एवं आधुनिक तकनीकी के आधार पर प्रशिक्षण पर बल दिया जायेगा ताकि वे अपने प्रदर्शन को वर्तमान स्तर से उच्च कर सकें एवं अपने प्रदर्शन को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधार कर पदक तालिका में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकें। राज्य अपने संसाधनों से इन खेलों के खिलाड़ियों हेतु खेल संघों के सहयोग से उच्च स्तरीय राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध करवायेगा। इन खेल विधाओं हेतु

राज्य में **Center of Excellence** तथा खेल अकादमियां विकसित किये जाएंगे ताकि खिलाड़ियों को तकनीकी एवं कौशल सुधार हेतु सुविधा प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त चिन्हित प्रत्येक खेल हेतु खेल विभाग नोडल अधिकारी तैनात करेगा ताकि प्रशिक्षण शिविरों का प्रभावी अनुश्रवण किया जा सके। प्राथमिकता वाले खेलों में निम्न खेल विधायें चयनित की जाती हैं:-

क्र०सं०	खेल विधा का नाम	क्र०सं०	खेल विधा का नाम
1	एथलेटिक्स	2	बैडमिन्टन
3	बॉक्सिंग	4	रोइंग
5	क्याकिंग एवं कैनोइंग	6	जूडो
7	ताइक्वांडो	8	शूटिंग
9	फुटबॉल	10	कराटे

• **द्वितीय प्राथमिकता/मध्यम श्रेणीगत खेल विधायें**

ऐसे खेल जो ओलम्पिक, एशियन खेल एवं राष्ट्रमण्डल खेलों में सम्मिलित हैं परन्तु जिनमें राज्य के खिलाड़ियों का प्रदर्शन स्तरीय नहीं है परन्तु राज्य में अधिक खिलाड़ियों द्वारा खेले जाते हैं ऐसे खेलों में अवस्थापना सुविधा विकास, कौशल विकास एवं खिलाड़ी की तकनीकी सुधार के माध्यम से बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता होगी। इन खेलों में स्तरीय प्रदर्शन प्राप्त करने हेतु राज्य को गहन प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करानी होगी ताकि राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के खिलाड़ियों का प्रदर्शन सुधर सके। अतः राज्य इन खेलों हेतु चरणबद्ध तरीके से आधारभूत सुविधाएं, प्रशिक्षण अकादमियां एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करेगी। राज्य सरकार संबंधित खेल संघों से आवश्यक तकनीकी सहयोग प्राप्त करेगी। इस श्रेणी में निम्न खेल विधायें चयनित की जाती हैं:-

क्र०सं०	खेल विधा का नाम	क्र०सं०	खेल विधा का नाम
1	वॉलीबॉल	2	बार्केटबॉल
3	हैण्डबॉल	4	हॉकी
5	टेबल टेनिस	6	कुश्ती
7	भारोत्तोलन	8	तीरंदाजी
9	कबड्डी	10	तलवारबाजी (फेंसिंग)

• **तृतीयक खेल/सामान्य श्रेणी के खेल**

कोर खेल विधाओं के ऐसे खेल जो पूर्व की दोनों सूचियों में सम्मिलित नहीं हैं एवं जिनमें राज्य के खिलाड़ियों का प्रदर्शन निम्न स्तरीय है ऐसे खेल राज्य में कम प्रचलित हैं एवं इनमें राज्य के खिलाड़ियों की संख्या भी काफी कम है। अतः इन खेलों के प्रति राज्य में रुचिकर वातावरण तैयार करने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार खेल संघों को इन खेल हेतु बुनियादी परिवर्तन हेतु सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी।

✓

- परम्परागत खेल

उत्तराखण्ड राज्य की संस्कृति ऐतिहासिक काल से ही समृद्ध रही है जिसमें युवाओं द्वारा स्थानीय स्तर पर शारीरिक विकास हेतु परम्परागत खेलों का आयोजन किया जाता रहा है। राज्य के परम्परागत खेल जा ग्रामीण अंचलों में खेले जाते हैं, के चिन्हीकरण एवं विकास हेतु खेल विभाग द्वारा प्रयास किया जायेगा तथा सर्वाधिक खेले जाने वाले 02 परम्परागत खेलों को राज्य स्तरीय खेलों में प्रदर्शन खेलों के रूप में सम्मिलित किया जायेगा। 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अर्न्तगत परम्परागत खेलों को अन्य राज्यों के साथ साझा किया जायेगा।

- 4. खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास

राज्य सरकार राज्य में खेलों के विकास हेतु खेल अवस्थापना सुविधाओं के चरणबद्ध तरीके से कटिबद्ध हैं, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा खेल अवस्थापना सुविधाओं का नेटवर्क तैयार किया जाएगा जिससे राज्य के अधिकाधिक निवासियों को खेल सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके। 'राज्य खेल ग्रिड' के विकास से न केवल खिलाड़ियों को लाभ प्राप्त होगा वरन् समाज के सभी वर्गों को शारीरिक व्यायाम हेतु सुविधाएं प्राप्त होंगी।

- ग्राम स्तर पर खेल अवस्थापनाएं

प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक खेल मैदान विकसित किया जाएगा जिसमें न्यूनतम 02 खेलों से सम्बन्धित सुविधा उपलब्ध होगी। ग्राम पंचायत स्तर पर खेल अवस्थापनाओं की सुविधाओं के विकास हेतु भारत सरकार की मनरेगा योजना के साथ इससे जोड़ा जायेगा। ग्राम पंचायत स्तरीय खेल मैदानों का रख-रखाव ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। खेल मैदान के निर्माण हेतु पंचायत स्तर पर स्थापित विद्यालयों की भूमि को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि पंचायतों में खेल मैदान पूर्व से ही निर्मित हैं तो उन्हें समीपवर्ती विद्यालयों के साथ जोड़ा जाएगा ताकि विद्यार्थियों को भी अनिवार्य रूप से खेल सुविधा प्राप्त हो सके।

- क्षेत्र पंचायत स्तर पर खेल अवस्थापनाएं

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक खेल कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा जिसमें आउटडोर एवं इनडोर दोनों प्रकार के खेलों को सम्मिलित करते हुए न्यूनतम 05 खेलों से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उक्त क्षेत्र पंचायत स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का प्रबंधन युवा कल्याण विभाग द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत के सहयोग से किया जाएगा।

- नगरीय क्षेत्रों पर खेल अवस्थापनाएं

प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम 01 खेल अवस्थापना सुविधा विकसित की जाएगी जिसमें न्यूनतम 03 खेलों के खेलने की सुविधा होगी। इन सुविधा का विकास, नगर विकास तथा खेल विभाग के माध्यम से किया जाएगा।

- विद्यालयों में खेल अवस्थापनाएं

सभी विद्यालयों में Playfield विकसित किये जाने का प्रयास किया जाएगा। यदि विद्यालय में स्थान उपलब्ध नहीं है तो निकटवर्ती स्थल पर खेल अवस्थापना सुविधा विकसित की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय में कम से कम एक खेल से सम्बन्धित, जूनियर हाई स्कूल स्तर पर कम से कम 02 खेलों से सम्बन्धित सुविधायें एवं इंटरमीडिएट स्तर पर कम से कम 03 खेलों से सम्बन्धित अवस्थापना सुविधा उपलब्ध होगी। शिक्षा विभाग विद्यालयों में खेलों के विकास हेतु इन सुविधाओं को विकसित करेगा।

- महाविद्यालयों में खेल अवस्थापनाएं
सभी महाविद्यालयों में स्थान की उपलब्धता के आधार पर न्यूनतम 05 खेल विधाओं हेतु Playfield निर्मित किए जाएंगे। साथ ही Multi Purpose Hall विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।
 - जिला स्तर पर खेल अवस्थापनाएं
जिला स्तर पर स्टेडियम विकसित किए जाएंगे जिसमें 10 आउटडोर एवं 05 इनडोर खेलों से सम्बन्धित सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यदि यह एक स्थान पर उपलब्ध नहीं होंगी तो उन्हें जिला मुख्यालय पर उपलब्ध भिन्न-भिन्न स्थलों पर विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। जिला स्तर पर निर्मित स्टेडियम में जिम्नेजियम का निर्माण किया जाएगा। जिला स्तरीय अवस्थापनाओं सुविधाओं का संचालन रख-रखाव खेल विभाग द्वारा किया जाएगा।
 - राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अवस्थापनाएं
दोनों मण्डलों में एक-एक राष्ट्रीय स्तर की खेल अवस्थापना सुविधा का विकास किया जाएगा एवं जिसमें विशेष प्रशिक्षण अकादमियों की स्थापना की जाएगी। उक्त अकादमियों में राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन अवस्थापना सुविधाओं का संचालन एवं रख-रखाव खेल विभाग द्वारा स्वयं अथवा पीपीपी0 अर्न्तगत किया जाएगा।
 - मेजर ध्यानचन्द निजी क्षेत्र खेल प्रतिभागिता प्रोत्साहन कोष
खेल मैदान/स्टेडियम/भवन/खेल अकादमी/स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स/स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी से सम्बन्धित अवस्थापना विकास हेतु प्राविधित व्यय का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 लाख तक की सीमा तक अनुदान खेल विभाग द्वारा दिया जायेगा।
इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश एवं विस्तृत शासनादेश पृथक से जारी किये जायेंगे।
5. प्रतिभा श्रृंखला विकास ..
- उत्तराखण्ड राज्य में खेल क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है वरन् प्रतिभाओं की खोज की अपार सम्भावनाएं हैं। खेलों में विशिष्ट कौशल के विकास के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि बाल्यकाल से ही बालक-बालिकाओं को उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप खेलों में आगे बढ़ाया जाए। इस हेतु 'Catch them young' की नीति प्रयोग में लायी जाएगी। खेलों के इस तकनीकी एवं शारीरिक पहलुओं के दृष्टिगत प्रतिभा खोज कार्यक्रम व्यापक स्तर पर एवं नियमित अंतराल पर चलाया जाएगा।
- शैशव प्रतिभा विकास
बाल्यकाल से ही बालक-बालिकाओं में भिन्न-भिन्न शारीरिक क्षमताएं होती हैं अतः 08 वर्ष से न्यून बालक-बालिकाओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों, प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों में क्षमताओं यथा General Movement Skills along with Flexibility, Agility, Balance, Coordination, Speed and Strength आदि को मनोरंजक आधारित शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से विकसित किया जाएगा।
 - प्रतिभा चिन्हीकरण (PSAT)
08 वर्ष से 14 वर्ष की आयु में उपरोक्त क्षमताओं का अध्ययन प्रशिक्षित मानव संसाधन द्वारा किया जाएगा। उक्त खिलाड़ियों का PSAT (Physical and Sports Aptitude Test) कर यह आंकलित किया जाएगा कि बालक-बालिका किन खेलों हेतु उपयुक्त हैं एवं उन्हें उस खेल विशेष से जुड़े प्राथमिक प्रशिक्षण को उनके गृह स्थल से जुड़े शिक्षण केन्द्रों में शारीरिक शिक्षकों द्वारा दिया जाएगा।

- **प्रतिभा चयन**

प्राथमिक प्रशिक्षण उपरान्त खेल विशेष के स्तरीय प्रशिक्षक द्वारा सम्बन्धित खेल के बैटरी टेस्ट के माध्यम से कुशल खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा जिन्हें विभिन्न प्रशिक्षण कैंम्पों, हॉस्टल्स आदि में द्वितीयक खेल विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा उनमें से चयनित कुशल खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जाएगी तथा उनके खेल कौशल विकास हेतु उन्हें स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराया जाएगा। खेल विभाग द्वारा इस चरण को सम्पादित किया जाएगा।

- **प्रतिभा विकास**

द्वितीयक प्रशिक्षण उपरान्त कुशल खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल विशेष के कुशल प्रशिक्षकों द्वारा खेल विभाग के चयनित प्रशिक्षण केन्द्रों में उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु सम्बन्धित राज्य खेल संघ का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। इस उच्च स्तरीय प्रशिक्षण आदि पर होने वाला समस्त व्यय खेल विभाग द्वारा किया जाएगा।

- **प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग**

प्रतिभाओं को खेल के क्षेत्र में आगे लाने हेतु यह आवश्यक है कि उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण उपलब्ध कराया जाए। इस हेतु खेल विभाग उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न मान्य एवं स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करवाएगा तथा अन्तर्राज्यीय खेल विनिमय कार्यक्रम (Inter State Sports exchange program) के माध्यम से भी विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आहूत करेगा।

प्रतिभा विकास हेतु विस्तृत नियम एवं निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

6. **खेल प्रशिक्षण प्रबंधन**

खेल एवं खिलाड़ियों के उन्नयन हेतु यह आवश्यक है कि स्तरीय खेल प्रशिक्षण की सुविधाएं प्राप्त हों। राज्य सरकार इस बात को मान्यता देती है कि कोच की भूमिका प्रशिक्षक, मित्र, सलाहकार, अभिर्भोषक, प्रेरक एवं योजनाकार के रूप में महत्वपूर्ण होती है अतः खिलाड़ियों को स्तरीय कोच उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने एवं खिलाड़ियों के उच्च स्तरीय प्रदर्शन हेतु आवश्यक है कि खिलाड़ियों का सतत प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाये। राज्य के सभी जिलों में होनहार प्रतिभाओं को तराशने और नियमित प्रशिक्षण के द्वारा उन्हें निखारने के लिए नियमित एवं तदर्थ प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। खेल संस्कृति के विकास के साथ ही युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ रही है एवं अधिकाधिक युवा खेलों में कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिभाग करने हेतु लगातार प्रयासरत रहते हैं। अतः आवश्यक है कि खेल प्रशिक्षण प्रबंधन को और अधिक सशक्त किया जाये। खेल विभाग अधिकाधिक खिलाड़ियों के कौशल विकास हेतु नियमित प्रशिक्षण शिविरों के साथ ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करेगा। ये प्रशिक्षण खेल छात्रावासों के साथ-साथ विभिन्न खेल अकादमियों तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में भी उपलब्ध कराये जाएंगे।

- **विशेष प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम**

राज्य के नियमित प्रशिक्षकों, तदर्थ प्रशिक्षकों एवं खेल संघों से जुड़े प्रशिक्षकों के कौशल विकास, तकनीकी ज्ञान उच्चीकरण एवं संबंधित खेल से जुड़े नवीनतम नियमों एवं विविध जानकारी हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम खेल विभाग द्वारा आयोजित किये जायेंगे। उच्च क्षमता वाले प्रशिक्षकों को उच्च प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध संस्थानों में भेजा जाएगा। विशेष प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षक खिलाड़ियों के विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण मूल्यांकन करने, खिलाड़ियों को उनसे संबंधित विशेष कौशल विकास एवं उनके प्रदर्शन के संबंध में भविष्यवाणी करने में सहायक होगा।

- **राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों की तदर्थ तैनाती**

उच्च प्राथमिकता श्रेणी वाली खेल विधाओं में खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण की सुविधा को राज्य की अवस्थापना सुविधाओं एवं Center of Excellence में उपलब्ध कराया जायेगा। राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों को स्थानीय प्रशिक्षकों के साथ मिलकर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने से खिलाड़ियों के प्रदर्शन में स्तरीय परिवर्तन आयेगा। राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों का चयन संबंधित खेल संघों के सहयोग से तदर्थ आधार पर उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए किया जाएगा।

- **शारीरिक शिक्षकों का खेल प्रशिक्षकों के रूप में योगदान**

राज्य में उपलब्ध सीमित प्रशिक्षकों की संख्या तथा खेलों के राज्य के समस्त क्षेत्रों में विस्तार के दृष्टिगत शिक्षा विभाग में उपलब्ध शारीरिक शिक्षकों/युवा कल्याण विभाग के व्यायाम प्रशिक्षक एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारियों का प्रयोग खेल प्रशिक्षकों के रूप में किया जाना उचित होगा। शिक्षा विभाग में काफी संख्या में शारीरिक शिक्षक उपलब्ध हैं एवं वे राज्य के दूरस्थ स्थानों पर तैनात भी हैं ऐसे सभी शारीरिक शिक्षकों को उनकी खेल अभिरुचि के अनुरूप विशेष खेल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन खेल विभाग द्वारा किया जाएगा। शिक्षा विभाग इस हेतु दिशा-निर्देश एवं कार्ययोजना तैयार करेगा ताकि शैक्षणिक कार्यों में गतिरोध न उत्पन्न होने पाये। खेल विभाग ऐसे विशेष प्रशिक्षण शिविर 'राज्य खेल विकास संस्थान' के माध्यम से आयोजित करेगा तथा ऐसे शारीरिक शिक्षकों को संबंधित खेल में प्रारंभिक प्रशिक्षक के रूप में प्रमाणन भी करेगा।

- **वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण**

वर्तमान में खिलाड़ियों के प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण में विज्ञान एवं तकनीक की भूमिका निरन्तर बढ़ती जा रही है। खेलों में प्रशिक्षण के साथ-साथ विज्ञान एवं तकनीक के प्रचलन के माध्यम से खिलाड़ियों के कौशल व शक्ति के साथ-साथ मानसिक एकाग्रता पर जोर दिया जाता है। प्रतिस्पर्धी काल में विज्ञान एवं तकनीकी का उपयोग प्रशिक्षण में आवश्यक हो गया है।

खेलों में खेल विकास की बढ़ती भूमिका के दृष्टिगत राज्य में विभिन्न खेलों से सम्बन्धित खेल अकादमियों की स्थापना के साथ-साथ उच्च प्राथमिकता वाली खेल विधाओं के सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। खेलों में तकनीकी एवं वैज्ञानिक तत्वों के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत 'खेल विज्ञान केन्द्र' की स्थापना 'राज्य खेल विकास संस्थान' में की जाएगी। इस केन्द्र में जैवयान्त्रिकी, खेल मनोविज्ञान एवं अन्य समावेशी विज्ञान के विषयों संबंधी प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स फिजियोथैरेपी एवं विविध खेल संबंधी सलाह भी राज्य के खिलाड़ियों को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. खेल प्रतियोगिताएं

- **ग्रामीण खेलकूद (न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत)**

भौगोलिक परिस्थितियों एवं उत्तराखण्ड के विस्तृत भू-भाग को ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत निवासियों हेतु उनके निज क्षेत्र में खेल सुविधाएं एवं खेल संस्कृति का विकास किया जाना आवश्यक है इसके दृष्टिगत इन क्षेत्रों में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन अनिवार्य हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद के विस्तार एवं खेल प्रतिमाओं को अनुकूल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने हेतु खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा कल्याण विभाग इन प्रतियोगिताओं को शिक्षा, खेल एवं पंचायती राज के माध्यम से सम्पादित कराएगा। इस हेतु खेल महाकुम्भ को और अधिक विस्तृत एवं व्यापक बनाया जाएगा।

- **महिला खेलकूद**

राज्य सरकार का यह प्रयास होगा कि राज्य में महिलाओं को भी खेलों में भाग लेने हेतु समान अवसर उपलब्ध हों। इस हेतु वर्तमान में युवा कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रतिवर्ष खेल महाकुम्भ अन्तर्गत प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जाता है। इस योजना को और अधिक विस्तारित किया जायेगा तथा खेलों की संख्या एवं प्रतियोगिता स्थलों का और अधिक क्षेत्रों में विस्तार किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त जिला मुख्यालयों अथवा उपयुक्त स्थलों पर प्रतिवर्ष महिलाओं हेतु ग्रीष्मकालीन आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे।

महिलाओं को आत्मरक्षा एवं खेलों को जोड़ते हुए उन्हें और अधिक सशक्त बनाने हेतु उन्हें जूडो, कराटे, ताईक्वांडो, किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग आदि खेलों में प्रशिक्षित किया जायेगा। उक्त हेतु खेल विभाग द्वारा युवा कल्याण विभाग एवं महिला सशक्तिकरण विभाग से आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाएगा।

- **साहसिक खेल**

वर्तमान युग में युवाओं को और अधिक मानसिक रूप से सुदृढ़ करने तथा उनके आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत करने हेतु साहसिक खेलों की आवश्यकता अवश्यभावी हो जाती है। साहसिक खेलों के तीनों प्रकार यथा वायु, जल, एवं स्थलीय हेतु राज्य में अपार संभावनाएँ हैं। साहसिक खेलों के प्रोत्साहन से न केवल राज्य के युवाओं में इन खेलों के प्रति रुझान बढ़ेगा वरन् राज्य में पर्यटन के अवसर भी प्राप्त होंगे। वर्तमान में राज्य में भारत सरकार का नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के साथ राज्य के युवा कल्याण विभाग, खेल विभाग एवं पर्यटन विभाग के द्वारा साहसिक खेल गतिविधियों का संचालन किया जाता है। राज्य में साहसिक खेलों के विस्तार हेतु प्रशिक्षण सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा ताकि इस क्षेत्र में राज्य के युवा अधिक से अधिक संख्या में आकर्षित हो सकें। इस हेतु तीनों विभागों के आपसी समन्वय से विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

- **दिव्यांग खेलकूद**

राज्य का प्रयास है कि समाज के सभी वर्गों को खेल विकास का लाभ प्राप्त हो सके इस हेतु राज्य सरकार 'सभी के लिए खेल' अर्न्तगत समाज के सभी वर्गों को खेल अवस्थापना सुविधा के साथ-साथ प्रशिक्षण एवं प्रतिस्पर्धी वातावरण उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत् है। इसी क्रम में दिव्यांग जनों हेतु भी खेल सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जाएगा। विगत वर्षों से राज्य में दिव्यांग जनों हेतु राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता रहा है। परन्तु राज्य में अभी भी दिव्यांग जनों हेतु खेल सुविधाओं का अभाव है। खेल विभाग का प्रयास होगा कि दिव्यांग जनों की विशेष आवश्यकताओं के दृष्टिगत वर्तमान उपलब्ध खेल अवस्थापनाओं में सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं। दिव्यांग जनों हेतु विशेष प्रशिक्षण शिविर चिन्हित जगहों पर सम्बन्धित खेल संघ के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाने हेतु जिला एवं राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं के आयोजन को और अधिक व्यापक एवं अधिक खेलों को सम्मिलित करते हुए किया जाएगा। इस हेतु प्रतिवर्ष खेल महाकुम्भ अर्न्तगत दिव्यांग खेलकूद महाकुम्भ आयोजित किया जाएगा जिसमें खेल विभाग एवं सम्बन्धित खेल संघ का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। आवश्यकतानुसार दिव्यांग जनों हेतु अवस्थापना सुधार, प्रशिक्षण शिविरों हेतु समाज कल्याण विभाग सहयोग प्रदान करेगा।

- **प्रोफेशनल खेल प्रतियोगिताएं**

खेल विभाग द्वारा राज्य खेल संघों, उत्तराखण्ड ओलम्पिक संघ के सहयोग से जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। जिसमें कुशल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। उच्च स्तरीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिभाग करने के साथ उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने का अवसर भी प्राप्त होगा। राज्य खेल संघों, उत्तराखण्ड ओलम्पिक संघ द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं हेतु खेल विभाग द्वारा प्राथमिकता आधारित आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

प्रतियोगिताओं की प्राथमिकता एवं आर्थिक सहायता की धनराशि के सम्बन्ध में नियम उपनियम/दिशा-निर्देश सम्बन्धी शासनादेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

- **राज्य प्रीमियर लीग**

उच्च प्राथमिकता वाले कुछ चुने हुए खेलों में अधिकाधिक लोगों को जोड़ने एवं खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी वातावरण उपलब्ध कराने हेतु अर्न्तजनपदीय प्रीमियर लीग आयोजित किये जाने का प्रयास किया जायेगा। उक्त आयोजन को निजी क्षेत्रों की प्रायोजक कम्पनियों के माध्यम से किया जायेगा। राज्य प्रीमियर लीग के माध्यम से कुशल खिलाड़ियों का स्वयं को व्यावसायिक रूप से स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

- **प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन**

राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन से स्थल विशेष में खेलों के प्रति सामान्य जन में रुचि बढ़ती है साथ ही राज्य के खिलाड़ियों को कौशल विकास हेतु मौके प्राप्त होते हैं। राज्य के खिलाड़ी अन्य प्रदेशों के खिलाड़ियों के प्रदर्शन एवं उनके प्रशिक्षण से अपने कौशल

को बढ़ा पाते हैं साथ ही स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से खेल अवस्थापना सुविधाएं भी विकसित होती हैं।

उत्तराखण्ड राज्य द्वारा पूर्व में विण्टर सैफ खेल एवं राष्ट्रीय स्तर की विण्टर खेल प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है एवं निकट भविष्य में राष्ट्रीय खेल आयोजित किया जाना है जिस हेतु भारतीय ओलम्पिक संघ के साथ अनुबंध किया जा चुका है। उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा समेकित प्रयास किए जाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के अतिरिक्त विभिन्न खेल विधाओं की राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन का प्रयास IOA/SOA/NSA/SSA के माध्यम से किया जाएगा।

उपरोक्त विभिन्न खेलों के सन्दर्भ में नियम उपनियम/दिशा-निर्देश सम्बन्धी शासनादेश सम्बन्धित विभागों द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।

8. खिलाड़ियों को प्रोत्साहन

• पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार

खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि खेलों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों को पुरस्कार एवं अन्य लाभों के माध्यम से सम्मानित किया जाये। इस प्रकार के पुरस्कार न केवल उनके मान को बढ़ाते हैं, वरन् उन्हें खेलों में और बेहतर प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित भी करते हैं।

खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों एवं खेल पत्रकारों को निम्नानुसार नकद पुरस्कृत किया जायेगा। पुरस्कार की राशि एवं अन्य लाभों को राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर सम्यक विचारोपरान्त बढ़ाया/सुधार कर सूचित किया जायेगा।

खिलाड़ी

खिलाड़ियों को विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने पर नकद पुरस्कार निम्न विवरण के अनुसार दिये जायेंगे।

क्र०सं०	टूर्नामेन्ट्स/चैम्पियनशिप	पदक	धनराशि
01	ओलंपिक खेल	स्वर्ण	2,00,00,000
		रजत	1,50,00,000
		कांस्य	1,00,00,000
		प्रतिभाग	50,00,000
02	विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप	स्वर्ण	30,00,000
		रजत	20,00,000
		कांस्य	15,00,000
		प्रतिभाग	7,50,000

03	एशियन खेल	स्वर्ण	30,00,000
		रजत	20,00,000
		कांस्य	15,00,000
		प्रतिभाग	7,50,000
04	राष्ट्रमण्डल खेल	स्वर्ण	20,00,000
		रजत	15,00,000
		कांस्य	10,00,000
		प्रतिभाग	5,00,000
05	एशियन चैम्पियनशिप	स्वर्ण	12,00,000
		रजत	8,00,000
		कांस्य	6,00,000
06	कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप	स्वर्ण	6,00,000
		रजत	4,00,000
		कांस्य	3,00,000
07	यूथ ओलंपिक खेल	स्वर्ण	6,00,000
		रजत	4,00,000
		कांस्य	3,00,000
08	सैफ खेल	स्वर्ण	6,00,000
		रजत	4,00,000
		कांस्य	3,00,000
09	राष्ट्रीय खेल	स्वर्ण	6,00,000
		रजत	4,00,000
		कांस्य	3,00,000
10	यूथ राष्ट्रमण्डल खेल	स्वर्ण	4,00,000
		रजत	3,00,000
		कांस्य	2,00,000
11	यूथ एशियन खेल	स्वर्ण	4,00,000
		रजत	3,00,000
		कांस्य	2,00,000
12	राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स/वर्ल्ड स्कूल गेम्स/वर्ल्ड पुलिस गेम्स	स्वर्ण	2,00,000
		रजत	1,00,000
		कांस्य	75,000
13	अन्तर्राष्ट्रीय वेटरन (मास्टर) चैम्पियनशिप (सभी आयु वर्ग)	स्वर्ण	75,000
		रजत	50,000
		कांस्य	25,000
14	राष्ट्रीय स्कूल खेल/खेलो इण्डिया प्रतियोगिताएं/राष्ट्रीय महिला खेल महोत्सव/अखिल भारतीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं	स्वर्ण	30,000
		रजत	20,000
		कांस्य	10,000
15	ऑल इण्डिया विश्व विद्यालय टूर्नामेन्ट्स/चैम्पियनशिप/खेलों इण्डिया विश्व विद्यालय प्रतियोगिताएं	स्वर्ण	30,000
		रजत	20,000
		कांस्य	10,000

16	राष्ट्रीय सिविल प्रतियोगिताएं/अखिल पुलिस खेल प्रतियोगिताएं	सर्विसेज भारतीय	स्वर्ण	30,000
			रजत	20,000
			कांस्य	10,000
17	राष्ट्रीय वेटरन (मास्टर) चैम्पियनशिप (सभी आयु वर्ग)		स्वर्ण	30,000
			रजत	20,000
			कांस्य	10,000

नकद पुरस्कार हेतु पात्रता एवं शर्त:-

- खिलाड़ी द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय टीम में चयन होने से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य के खिलाड़ी के रूप प्रतिनिधित्व किया हो।
- पुरस्कार केवल पिछले वित्तीय वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर ही दिये जायेंगे। पूर्व के प्रदर्शन को इस हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।
- आवेदन सम्बन्धित जिला खेल कार्यालयों/निदेशालय के माध्यम से प्राप्त होने चाहिए।
- नगद पुरस्कार राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं/चैम्पियनशिप में प्राप्त प्रत्येक पदक के आधार पर अलग-अलग दिया जायेगा किन्तु वह प्रतियोगिता सम्बन्धित वर्ष में एक बार ही आयोजित की गयी हो।
- सामान्य एवं दिव्यांग खिलाड़ियों को उनके प्रतियोगिता के स्तर के अनुरूप समान धनराशि प्रदान की जाएगी।

प्रशिक्षक

विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार निम्न विवरणानुसार दिये जायेंगे।

क्र.सं.	प्रतियोगिता का नाम	पुरस्कार की राशि (लाख ₹ में)		
		स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक
1	ओलम्पिक खेल	5.00	3.00	2.00
2	एशियन खेल/चैम्पियनशिप/ विश्व चैम्पियनशिप खेल	3.00	2.00	1.00
3	राष्ट्रमण्डल खेल/चैम्पियनशिप	2.00	1.50	0.50
4	सैफ खेल/ अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/ राष्ट्रीय खेल/राष्ट्रीय चैम्पियनशिप	1.00	0.75	0.50

उपरोक्त प्रतियोगिताओं के सफल खिलाड़ियों/टीमों के ऐसे प्रशिक्षकों को पुरस्कृत किया जायेगा जो टीम/खिलाड़ी के साथ नियमित रूप से 240 दिन अथवा अधिक अवधि तक प्रशिक्षण दे चुके हों। एक से अधिक प्रशिक्षक होने पर प्रोत्साहन राशि बराबर-बराबर बांट दी जायेगी।

• उत्कृष्ट प्रतिभाओं को राज्य पुरस्कार

देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न—

उत्तराखण्ड राज्य के खिलाड़ियों हेतु यह राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 01 खिलाड़ी को दिया जायेगा। इस पुरस्कार के अन्तर्गत रु0 5.00 लाख नकद, प्रशस्ति पत्र, ब्लेजर एवं प्रतिमा प्रदान की जायेगी।

उत्तराखण्ड राज्य खेल पुरस्कार — “हिमालय पुत्र खेल पुरस्कार”

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 06 खिलाड़ियों को दिया जायेगा जिसमें 03 व्यक्तिगत स्पर्धाओं हेतु, 02 टीम स्पर्धाओं हेतु, 01 दिव्यांग खिलाड़ी होगा। इस पुरस्कार के अन्तर्गत रु0 1,00,000 नकद, प्रशस्ति पत्र, ब्लेजर एवं प्रतिमा प्रदान की जायेगी।

प्रशिक्षकों के लिए देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार—

यह पुरस्कार उत्तराखण्ड राज्य के प्रशिक्षकों को, उनके द्वारा दिये गये उल्लेखनीय प्रशिक्षण के लिए सम्मानित करने हेतु दिया जायेगा। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 02 प्रशिक्षकों को दिया जायेगा। इस पुरस्कार के अन्तर्गत नकद धनराशि रु0 3.00 लाख, प्रशस्ति पत्र, ब्लेजर एवं प्रतिमा प्रदान की जायेगी।

रेफरी, निर्णायक एवं खेल प्रशासक हेतु पुरस्कार—

यह पुरस्कार उत्तराखण्ड राज्य के रेफरी, निर्णायकों, जजों एवं खेल प्रशासकों को उनके खेलों में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए स्थापित किया गया है। इस पुरस्कार के अन्तर्गत नकद पुरस्कार रु0 51 हजार, प्रशस्ति पत्र, ब्लेजर एवं प्रतिमा प्रदान की जायेगी। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 01 निर्णायक को दिया जायेगा।

खेल पत्रकारों हेतु पुरस्कार—

खेलों और खिलाड़ियों के विकास के लिए किए गए रचनात्मक कार्य के लिए राज्य स्तर पर 01 खेल पत्रकार को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, इस पुरस्कार के अन्तर्गत रु0 51 हजार नकद व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न हेतु मानदण्ड निम्नानुसार है:—

- यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जायेगा जिनकी संस्तुति राज्य क्रीड़ा संघ द्वारा की गई हो तथा वे उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थायी निवासी हो।
- जिन्होंने सीनियर अथवा जूनियर वर्ग में मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित किया हो अथवा भाग लिया हो।

राज्य खेल पुरस्कार हेतु मानदण्ड निम्नानुसार है:—

- खिलाड़ी जिन्होंने विगत 03 वर्षों में लगातार उच्चतम उपलब्धि प्राप्त की हो, को ही राज्य खेल पुरस्कार के चयन हेतु सम्मिलित किया जायेगा।
- ओलंपिक खेलों, विश्व कप/चैम्पियनशिप, कामनवेल्थ गेम्स/एशियाई खेल/एशियन चैम्पियनशिप/ कामनवेल्थ चैम्पियनशिप एवं सैफ गेम्स आदि में भागीदारी को राज्य खेल पुरस्कार हेतु सम्मिलित किया जायेगा।



- खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु राष्ट्रीय टीम के चयन से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो, पुरस्कार हेतु संज्ञान में लिये जायेंगे।

देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार हेतु मानदण्ड निम्नानुसार है:-

- उत्तराखण्ड राज्य के वे प्रशिक्षक, चाहे वे राजकीय सेवा में हो या निजी क्षेत्र में, कार्यरत हों, जिन्होंने ऐसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो, जिन्होंने अपने प्रदर्शन/उपलब्धियों के आधार पर लगातार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विगत तीन वर्षों में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की हो, को इस पुरस्कार के नामांकन हेतु अर्ह माना जायेगा।
- यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उत्तराखण्ड राज्य के अधिकतम 02 प्रशिक्षकों को, गठित समिति की संस्तुतियों के आधार पर दिया जायेगा। 01 पुरस्कार विगत 03 वर्षों की उपलब्धियों हेतु एवं 01 पुरस्कार जीवन पर्यन्त की उपलब्धियों के आधार पर दिया जाएगा। प्रथम पुरस्कार तभी प्रदान किया जायेगा, जब इस बात की, साक्ष्यों के माध्यम से पुष्टि हो जाये कि प्रशिक्षक के, प्रशिक्षुओं ने विगत तीन वर्षों में, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है तथा द्वितीय पुरस्कार तभी प्रदान किया जाएगा, जब इस बात की साक्ष्यों के माध्यम से पुष्टि हो जाये कि जीवन पर्यन्त (Lifetime) प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया है और प्रशिक्षुओं ने राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य को गौरवान्वित किया है।

रेफरी, निर्णायकों एवं खेल प्रशासकों हेतु पुरस्कार के मानदण्ड निम्नानुसार है:-

प्रतिवर्ष एक पुरस्कार इस श्रेणी के अन्तर्गत दिया जायेगा, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाये। यह पुरस्कार तब ही दिया जायेगा, जब समिति इस बात की संस्तुति दे, कि निर्णायक/खेल प्रशासक में उल्लेखनीय योग्यता है व खेलों के प्रति इनके समर्पण के आधार पर वह पुरस्कार के योग्य है।

- रेफरी, जज एवं खेल प्रशासक जो इस पुरस्कार हेतु अपना नामांकन चाहते हों, उन्हें, अपना आवेदन पत्र अपनी उपलब्धियों के विवरण सहित संबंधित जिला खेल अधिकारी/निदेशालय को उपलब्ध कराना होगा। खेल संघ अथवा अन्य व्यक्ति भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्राप्त अपनी उपलब्धियों के विवरण सहित अपना नामांकन प्रस्तुत कर सकते हैं।

खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं अन्य को नकद पुरस्कार दिए जाने हेतु दिशा निर्देश एवं चयन समिति के सम्बन्ध में शासनादेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

• कल्याणकारी कार्य

1. बीमा/आर्थिक सहायता

राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के समय होने वाली खेल दुर्घटनाओं/खेल इन्जरी एवं अन्य खेल आकस्मिकताओं के दृष्टिगत बीमा अथवा आर्थिक सहायता खेल विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

II. खेल उपकरणों/किट हेतु अनुदान

खिलाड़ियों अथवा मान्यता प्राप्त/पंजीकृत खेल अथवा क्रीड़ा संघ को उसके क्रिया-कलापों प्रतियोगिता आयोजन और उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम रु० 2.5 लाख की सहायता खेल उपकरणों/खेल किट क्रय आदि हेतु उपलब्ध करायी जाएगी।

III. राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तथा प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिभाग करने हेतु राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा हेतु सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश एवं विस्तृत शासनादेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

IV. मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना

राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को खेल कौशल में विकास एवं उनकी खेल उपलब्धियों को प्रश्रय दिया जाना आवश्यक है जिससे उन्हें खेलों से जुड़े रहने का प्रोत्साहन मिलता रहे और वे खेलों में और अधिक मनोयोग से प्रतिभाग कर सकें। प्रतिवर्ष यह सुविधा आवश्यक बैट्री टेस्ट एवं उसकी दक्षता की मैरिट के आधार पर 08 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के प्रति जनपद 150-150 बालक-बालिकाओं (08 से 09 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी, 09 से 10 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी, 10 से 11 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी, 11 से 12 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी, 12 से 13 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी, 13 से 14 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी) में उनकी खेल प्रतिभा को पहचान कर उन्हें उनके खेल में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराये जाएंगे साथ ही उन्हें प्रति वर्ष मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना अन्तर्गत धनराशि रु० 1500 प्रतिमाह उपलब्ध करायी जाएगी।

मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के सम्बन्ध में शासनादेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

V. मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम/योजना

राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनकी खेल सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति से उन्हें खेलों में और अधिक मनोयोग से प्रतिभाग करने का अभिप्रेरण प्राप्त होता है अतः यह आवश्यक है कि खिलाड़ियों को उनकी आवश्यकता अनुरूप खेल किट, ट्रैक सूट एवं खेल संबंधी अन्य उपस्कर उपलब्ध कराये जाएं। इस हेतु 14 वर्ष से 23 वर्ष तक की आयु के प्रतिभावान खिलाड़ियों को जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति, खेल किट, ट्रैकसूट, एवं खेल संबंधी अन्य उपस्कर आदि उपलब्ध कराये जाएंगे। प्रतिवर्ष यह सुविधा आवश्यक बैट्री टेस्ट एवं उसकी दक्षता की मैरिट के आधार पर प्रत्येक जनपद के 14 से 23 वर्ष आयु (14 से 17 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी, 17 से 19 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी, 19 से 21 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी, 21 से 23 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी) के 100-100 प्रतिभावान बालक-बालिकाओं को उपलब्ध कराई जायेगी। जिसके अन्तर्गत प्रति खिलाड़ी रु० 2000 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति एवं खेल उपस्कर हेतु प्रतिवर्ष धनराशि रु० 10 हजार की सीमा तक मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाएगी।

मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम के सम्बन्ध में शासनादेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

VI. **मुख्यमंत्री उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रतिभागिता प्रोत्साहन कार्यक्रम**

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को वास्तविक आधार पर वातानुकूलित तृतीय श्रेणी/चेयर कार के ट्रेन टिकट अथवा एसी बस का किराया उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही इन खिलाड़ियों को खेल किट उपलब्ध करायी जाएगी। खेल किट यथा ट्रैक सूट एवं अन्य का कलर खेल विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु अन्य श्रोतों से आर्थिक सहायता प्राप्त न होने पर राज्य के खिलाड़ियों को आने-जाने हेतु इकोनॉमी क्लास के वायुयान किराया, वीजा फीस आदि के साथ रू० 2000 प्रतिदिन का आनुषांगिक व्यय भी उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रतिभागिता प्रोत्साहन कार्यक्रम के सम्बन्ध में शासनादेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

VII. **एकल खिड़की समाधान**

खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को खेल संबंधी आवश्यकता, उन्नयन एवं प्रोत्साहन संबंधी कार्यों हेतु एकल खिड़की समाधान योजना प्रयुक्त की जाएगी।

9. **खेल जीवन वृत्ति के रूप में**

• **खेल कोटा**

महाविद्यालय/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु खेल कोटा निर्धारण

राज्य स्तरीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों एवं राष्ट्रीय खेल/राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को 05 प्रतिशत का खेल कोटा सम्बन्धित प्रवेश हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

इस हेतु पृथक से शासनादेश एवं दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

• **खेल पदक विजेताओं को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन**

- राज्य की सेवाओं में खेल पदक विजेताओं को समूह 'ख' एवं 'ग' में निम्न मानदण्डों के आधार पर नियुक्ति दी जायेगी।

- (i) ओलंपिक खेल में स्वर्ण/रजत/कांस्य पदक विजेता को चिन्हित विभागों में चिन्हित पदों पर समूह 'ख' पद (ग्रेड पे-5400) पर नियुक्ति दी जायेगी।

- (ii) ओलम्पिक खेल में प्रतिभाग, विश्व चैम्पियनशिप/विश्वकप (मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा प्रत्येक दो वर्ष अथवा चार वर्ष पर आयोजित होने वाली प्रतियोगितायें) एशियन खेल एवं राष्ट्रमण्डल खेल के पदक विजेता खिलाड़ी को चिन्हित विभागों के चिन्हित पदों पर ग्रेड पे-4600 व 4800 के सीधी भर्ती के पदों पर सेवायोजन प्रदान किया जायेगा।

- (iii) सैफ खेल व राष्ट्रीय खेल में पदक विजेता खिलाड़ियों, एशियन खेल, राष्ट्रमण्डल खेल, मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित विश्व चैम्पियनशिप/विश्वकप के प्रतिभागियों (मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा प्रत्येक दो वर्ष अथवा चार वर्ष पर आयोजित होने वाली प्रतियोगितायें), एशियन चैम्पियनशिप/राष्ट्रमण्डल चैम्पियनशिप के पदक

विजेता खिलाड़ी को उनकी खेल प्रतिस्पर्धा के स्तर एवं उसकी महत्ता के अनुसार विभागों के चिन्हित समूह-‘ग’ के सीधी भर्ती पदों पर सेवायोजन प्रदान किया जायेगा।

- (iv) मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में मेडल प्राप्त/अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालयी प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त/मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय यूथ/जूनियर प्रतियोगिताओं से मेडल प्राप्त/भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त खिलाड़ियों को चिन्हित पदों के अतिरिक्त राज्याधीन सेवाओं में श्रेणी ‘ग’ (ग्रेड पे-2000) के सीधी के भर्ती के पदों पर सेवायोजन का प्रस्ताव दिया जायेगा।

- नियुक्तियां केवल उत्तराखण्ड राज्य के अर्ह खिलाड़ियों को ही उपलब्ध करायी जायेगी।
- चिन्हित विभागों के चिन्हित पद के रिक्त न होने की दशा में प्रस्तावित सेवायोजन हेतु सृजित माना जायेगा, जिसका समायोजन भविष्य की रिक्तियों के सापेक्ष किया जायेगा।

(a) पदक विजेता जिन्हें इस श्रेणी के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में नियुक्ति उपलब्ध करायी जायेगी, उन्हें अगले 05 वर्षों तक अपने संबंधित खेल में उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु खेल संबंधी माहिल उपलब्ध कराया जायेगा एवं प्रोत्साहित किया जायेगा, इन वर्षों में कार्य निष्पादन आंकलन खिलाड़ियों द्वारा खेल प्रतियोगिताओं में उनके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों से जोड़ा जायेगा, ये खिलाड़ी खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग, प्रशिक्षण अथवा पर्यवेक्षण हेतु जब भी आवश्यकता होगी खेल विभाग को उपलब्ध रहेंगे।

(b) अर्ह पदक विजेताओं को संबंधित चिन्हित विभागों में विभिन्न श्रेणी के इस विशेष नियुक्ति हेतु सृजित अधिसंख्यक पद पर किया जायेगा। यह नया पद विभाग के वर्तमान कैडर संख्या के अतिरिक्त होगा। रिक्त पदों पर अथवा अर्ह पदक विजेता विभाग की व्यावसायिक योग्यता की किसी विशिष्ट श्रेणी से मुक्त रहेगा, परन्तु उसे विशेष पाठ्यक्रम/व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसा विभाग उचित समझे निश्चित समय में पूर्ण करना होगा।

इस हेतु पृथक से शासनादेश एवं दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

• खेल क्षेत्र में स्वरोजगार

खेल क्षेत्र में समुचित स्वरोजगार की सम्भावनाएं उपलब्ध हैं यथा खेल पत्रकारिता, खेल फोटोग्राफी, कमन्ट्रेटर, खेल प्रबंधन, एफओओपीओ अनुरक्षण, खेल सामग्रियों के विनिर्माण आदि। राज्य के युवाओं को खेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने एवं स्वरोजगार के दृष्टिगत खेल से जुड़े उपरोक्त कार्यों का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।

10. निजी क्षेत्र की सहभागिता

खेल नीति में ग्राम पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के लिए खेलों हेतु आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाना है। उक्त अवस्थापना विकास हेतु अत्यधिक आर्थिक संसाधन की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार के सीमित संसाधनों के दृष्टिगत अत्यधिक वित्तीय प्रबन्धन करना कठिन कार्य है। अतः उपरोक्त अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु सार्वजनिक, निजी क्षेत्र की सहभागिता आवश्यक है इससे जहां एक ओर राज्य सरकार को खेल सुविधा विकास हेतु वित्तीय संसाधन प्राप्त करने में सुविधा प्राप्त होगी वहीं दूसरी ओर निजी क्षेत्र के ज्ञान एवं अनुभव का लाभ भी लिया जा सकेगा।

उक्त के दृष्टिगत खेल नीति में निजी, लोक भागेदारी हेतु निम्न प्रयास किये जाएंगे:-

- किसी प्रतिष्ठित एवं सक्षम संस्थान द्वारा किसी स्थल पर अवस्थापना सुविधा निर्माण, संचालन अथवा किसी खेल विशेष के उन्नयन हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसे यथासंभव सभी प्रकार की मदद उपलब्ध करायी जायेगी।
- निजी क्षेत्र के किसी प्रतिष्ठान द्वारा किसी खेल विशेष के उन्नयन हेतु खेल प्रतियोगिताओं को प्रायोजित करने, अकादमियों की स्थापना करने एवं खेल वातावरण सुदृढ़ करने का प्रस्ताव होने पर, उसे भी सभी प्रकार की यथासंभव मदद उपलब्ध करायी जायेगी।

✓

2

खेल प्रबंधन एवं प्रशासन



• नोडल विभाग

राज्य में खेल नीति के क्रियान्वयन एवं समन्वयन हेतु खेल विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।

• मुख्यमंत्री खेल विकास निधि का निर्माण

राज्य में खेलों के अवस्थापना सुविधाओं के विकास, संचालन, अनुसंधान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, प्रोत्साहन एवं खेलों से जुड़ी विविध कार्यों हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री खेल विकास निधि विकसित की जाएगी।

राज्य सरकार का प्रयास होगा कि राज्य की कुल जी0डी0पी0 का 01 प्रतिशत खेलों के विकास में विभिन्न विभागों द्वारा अपनी वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया जाये।

इस निधि में निम्न मदों से धन संरक्षित किया जाएगा:-

1. राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया कॉरपस फंड।
2. सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी आर्थिक सहायता।
3. खेल कार्यक्रमों एवं खेल अवस्थापनाओं के व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर प्राप्त किए जाने वाला शुल्क।
4. अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता एवं आय।
5. यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार द्वारा खेलों के संवर्धन हेतु सेस अधिरोपित कर खेल विकास निधि में सहयोग करने का प्रयास किया जायेगा।

इस निधि का प्रयोग खेल नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु खेल एवं खिलाड़ियों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु किया जाएगा।

• शोध एवं परामर्श इकाई

खेलों में निरन्तर तकनीकी के विकास एवं नवीनतम नियमों उपनियमों के दृष्टिगत निरन्तर शोध की आवश्यकताएं होती हैं साथ ही राज्य में खेल गतिविधियों से जुड़े आंकड़ों के अध्ययन एवं उनसे अनुकूलतम अभीष्ट निर्णयन तक पहुंचने हेतु शोध और शोध आधारित परिणामों को खेलों के विकास हेतु परामर्श की आवश्यकता के दृष्टिगत एक शोध एवं परामर्श इकाई निर्मित की जाएगी जो राज्य में खेलों के विकास हेतु शोध कर परामर्श देगी।

• राज्य खेल श्रेणीकरण इकाई

विभिन्न राज्यों में खेल के क्षेत्र में प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों की श्रेणीकरण की व्यवस्था है। राज्य में बढ़ती खेल संस्कृति एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों के प्रदर्शन को मूल्यांकित किया जाना उचित होगा जिसके दृष्टिगत राज्य में खेल श्रेणीकरण इकाई खेल निदेशालय में ही गठित की जाएगी।

• उत्तराखण्ड खेल विकास संस्थान

राज्य में खेल से जुड़े विकासात्मक कार्यों, प्रशिक्षण, शोध, प्रमाणन एवं परामर्श हेतु उत्तराखण्ड खेल विकास संस्थान भारत सरकार की योजनाओं की सहायता से स्थापित किया जाएगा। इसके अर्न्तगत एक खेल विज्ञान केन्द्र का निर्माण भी किया जाएगा, जो खेलों में तकनीकी, बायोमैकेनिक एवं सिमुलेशन के आधार पर खिलाड़ियों को उनसे सम्बन्धित खेलों में उच्च स्तरीय प्रदर्शन हेतु मार्ग निर्देशन प्रदान करेगा।

• डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली

खेलों के विकास, खेल अवस्थापना सुविधाओं, खिलाड़ियों की संख्या, प्रदर्शन, प्रशिक्षण के मूल्यांकन हेतु डेटाबेस निर्मित किया जाना आवश्यक है जिससे भविष्य में राज्य में खेलों को दिशा एवं दशा प्रदान करने वाले आंकड़े प्राप्त हो सकें। साथ ही इस प्रणाली के माध्यम से राज्य के खिलाड़ियों को यूनिक कोड प्रदान किया जाएगा जिससे उनसे जुड़ी समस्त जानकारीयां प्राप्त हो सकें। इस प्रणाली हेतु राज्य ओलम्पिक संघ, राज्य खेल संघों, शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा, युवा कल्याण विभाग, पुलिस विभाग का सहयोग प्राप्त किया जाएगा।

• सूचना एवं प्रलेखन

खेल विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के घटकों का अधिकतम प्रयोग योजनाओं के जन प्रचार-प्रसार हेतु किया जायेगा। विभाग द्वारा विभिन्न खेल से जुड़े नियमों उपनियमों, खेल मैदानों की डिजाइन एवं माप सम्बन्धी सूचनायें, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का पूर्ण व्योरा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। खेल विभाग समस्त जिला खेल कार्यालयों में खेलों से सम्बन्धित लाइब्रेरी का निर्माण करेगा। इसके लिए खेल विभाग समस्त जिला खेल कार्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेगा। राज्य स्तर पर भी उत्तराखण्ड खेल विकास संस्थान में ऐसी लाइब्रेरी की स्थापना की जायेगी एवं समय-समय पर पुस्तकों को जोड़कर इसको और अधिक महत्वपूर्ण बनाया जायेगा।

खेल नीति से सम्बन्धित विभिन्न हित धारक



सरकार

- **केन्द्र सरकार** :-केन्द्र सरकार के अधीन खेल एवं युवा कार्य मंत्रालय खेलों के उन्नयन हेतु समय-समय पर खेलों से जुड़ी विभिन्न योजनाएं एवं दिशा-निर्देश जारी करता है एवं देश में खेलों को आगे लाने हेतु महत्वपूर्ण केन्द्र बिन्दु है अतः राज्य की खेल नीति में केन्द्र सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देश महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
- **राज्य सरकार** :-राज्य सरकार अपने खेल विभाग के माध्यम से खेल नीति को प्रशासित करेगी एवं इस पर होने वाले व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा खेल नीति के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश समय-समय पर जारी किए जाएंगे एवं उचित समयान्तराल पर खेल नीति का मूल्यांकन किया जाएगा।
- **खेल विभाग उत्तराखण्ड** :-राज्य में खेल नीति लागू करने, प्रशासन, अनुश्रवण एवं अन्तर्विभागीय समन्वयन का कार्य खेल विभाग द्वारा किया जाएगा।

- **शिक्षा विभाग :-** खेलों में अधिकतम संख्या में विद्यार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है अतः शिक्षा विभाग की भूमिका खेल नीति के क्रियान्वयन में आवश्यक हो जाती है। शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में खेल अवस्थापना सुविधाएं एवं शारीरिक शिक्षक उपलब्ध होते हैं ये दोनों ही संसाधन खेलों के उन्नयन हेतु आवश्यक हैं अतः खेल नीति में शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण इकाई है।
- **युवा कल्याण विभाग :-** ग्रामीण अंचलों में युवा कल्याण विभाग की पहुंच युवक एवं महिला मंगल दलों के माध्यम से है तथा युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है यह प्रतियोगिताएं ग्राम से लेकर राज्य स्तर तक आयोजित की जाती हैं जिनमें विभिन्न आयु वर्ग के बालक-बालिकाएं, महिलाएं, दिव्यांग आदि प्रतिभाग करते हैं। विभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के इस फैलाव के दृष्टिगत युवा कल्याण विभाग की भूमिका खेल नीति क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण है।
- **पंचायती राज विभाग :-** राज्य में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। पंचायती राज विभाग के माध्यम से खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास विभिन्न स्तरों पर किया जा सकता है।
- **अन्य विभाग :-** युवाओं, महिलाओं, दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ जुड़े समस्त अन्य राजकीय विभाग खेल नीति के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण होंगे। खेल विभाग इस हेतु अर्न्तविभागीय समन्वयन का कार्य करेगा।

खेल संस्थायें

- **भारतीय ओलम्पिक संघ:-**

भारतीय ओलम्पिक संघ ओलम्पिक चार्टर के अनुसार देश में खेलों से जुड़ी सर्वोच्च संस्था है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति की सदस्य संस्था है। ओलम्पिक, एशियन खेल, राष्ट्रमण्डल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा भारतीय ओलम्पिक संघ के माध्यम से प्रतिभाग किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल का संरक्षक भी भारतीय ओलम्पिक संघ ही होता है। राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को राज्य में आयोजित किये जाने हेतु IOA से सहायता प्राप्त की जायेगी।

- **राज्य ओलम्पिक संघ:-**

राज्य में भारतीय ओलम्पिक संघ की इकाई के रूप में उत्तराखण्ड ओलम्पिक एसोसिएशन निर्मित है जो राज्य में खेलों के विकास एवं उन्नयन हेतु कार्य कर रही है। राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ी उत्तराखण्ड ओलम्पिक एसोसिएशन के माध्यम से प्रतिभाग करते हैं। उत्तराखण्ड ओलम्पिक एसोसिएशन राज्य में खेलों के उन्नयन हेतु खेल विभाग के साथ मिलकर कार्य करेगी साथ ही राज्य खेल संघों के कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।



• राज्य खेल संघ:-

राज्य खेल संघ प्रदेश से सम्बन्धित खेलों के विकास हेतु महत्वपूर्ण संस्था होती है एवं सम्बन्धित खेल के उन्नयन में राज्य खेल संघ की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है अतएव खेल विभाग राज्य खेल संघों के सहयोग से राज्य में खेलों के उन्नयन हेतु कार्य करेगी। राज्य खेल संघों से अपेक्षा है कि राज्य में खेलों के विकास हेतु पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएगी। जिला स्तर पर जिला क्रीड़ाधिकारी एवं राज्य स्तर पर निदेशक खेल समन्वयन हेतु नोडल अधिकारी होंगे। खेल संघों द्वारा आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण शिविरों, खेल प्रतियोगिताओं एवं उच्च खेल प्रतियोगिताओं हेतु पात्र खिलाड़ियों के चयन में खेल विभाग के अधिकारियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाएगा ताकि राज्य में एक पारदर्शी प्रणाली विकसित की जा सके जो खेल एवं खिलाड़ियों को आगे लाने में सहायक होगी। राज्य खेल संघ खिलाड़ियों संबंधी विभिन्न आंकड़े खेल विभाग के साथ साझा करेंगे ताकि खेल विभाग द्वारा खिलाड़ियों संबंधी डेटाबेस का निर्माण किया जा सके एवं खिलाड़ियों की उपलब्धियों एवं उनसे जुड़ी जानकारी को खेल एवं उनके हित में प्रयोग किया जा सके।

• खेल एवं फिटनेस क्लब:-

राज्य में खेल संस्कृति निरन्तर विकासशील है। सभी वर्गों के लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति चिन्तनशील हो रहे हैं इस हेतु वे विभिन्न फिटनेस एवं स्पोर्ट्स क्लब में खेल गतिविधियों एवं शारीरिक फिटनेस कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने लगे हैं। नगरीय क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों द्वारा स्पोर्ट्स एवं फिटनेस क्लब लगातार स्थापित किए जा रहे हैं। खेलों के वातावरण एवं नागरिकों की उर्जा को सकारात्मक दिशा देने में खेल क्लब महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। राज्य सरकार इन खेल क्लबों में गुणवत्ता युक्त खेल माहौल प्रदान करने हेतु तकनीकी परामर्श उपलब्ध करायेगी एवं इन क्लबों में आवश्यक सुविधाओं के न्यूनतम स्तर को बनाये रखने हेतु नियमन का प्रयास करेगा।

स्थानीय संस्थायें

• विश्व विद्यालय:-

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय युवाओं की शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण स्थल है एवं दीर्घकाल तक युवा इन संस्थानों में रहते हैं अतः यह आवश्यक हो जाता है कि इन संस्थानों में खेलों का वातावरण बनाया जाये। विश्वविद्यालयों द्वारा खेलों में निरन्तर प्रतिभाग किया जाता रहा है। विश्वविद्यालय स्तर पर AIU खेलकूद प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती है जिसमें महाविद्यालय के छात्र विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिभाग करते हैं। खेल विभाग विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में खेल अवस्थापना विकास, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं के आयोजन में अपेक्षित तकनीकी सहयोग उपलब्ध करायेगा। साथ ही विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की जायेगी कि वे अपने से सम्बद्ध महाविद्यालयों में आवश्यक खेल सुविधा विकास में सहयोग करें।

• पंचायती राज संस्थान/नगरीय निकाय:-

पंचायती राज संस्थाओं/नगरीय निकायों का विस्तार राज्य के समस्त क्षेत्रों में है एवं इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न अवस्थापना विकास एवं विकासात्मक कार्यों को सम्पादित किया जा रहा है। बड़े निकाय अपने संसाधनों से Playfield, MPH एवं योगा केन्द्र सामुदायिक केन्द्रों में स्थापित करने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इन संस्थाओं द्वारा संचालित पार्कों, मिलन केन्द्रों आदि में जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत फिटनेस सेन्टर स्थापित किये जा रहे हैं। इस योजना को और अधिक व्यापक एवं विस्तारित करने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

व्यावसायिक संस्थायें

• सार्वजनिक सेवा उपक्रम/निजी कम्पनियां:-

सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां एवं निजी कम्पनियां आजकल खेल क्षेत्र में आगे आ रही हैं। विभिन्न कम्पनियों द्वारा खेलों एवं खिलाड़ियों को प्रायोजित किया जा रहा है जो राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेल संस्कृति विकास हेतु महत्वपूर्ण है। राज्य में खेलों के विकास हेतु PSU एवं निजी कम्पनियां महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती हैं। ये संस्थान राज्य की टीमों, कुशल खिलाड़ियों के प्रशिक्षण प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु प्रायोजित कर सकती हैं साथ ही अवस्थापना सुधार में भी ये व्यावसायिक संस्थान अपना सहयोग उपलब्ध करा सकते हैं। राज्य में इन व्यावसायिक संस्थानों के सहयोग प्राप्ति हेतु अपेक्षित प्रयास राज्य सरकार द्वारा किए जाएंगे।

नीति समीक्षा और निगरानी

• नीति समीक्षा

बदलते वैश्विक एवं राष्ट्रीय रुझानों के अनुरूप बनाने के लिए हर पाँच वर्ष में राज्य खेल नीति की समीक्षा शासन द्वारा निर्धारित समिति के माध्यम से की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार नियम उपनियम/ निर्देशों का निर्गमन उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।

• निगरानी

खेल नीति के अन्तर्गत निर्धारित कार्यकलापों की दैनिक निगरानी की जिम्मेदारी खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड की होगी, जो इस हेतु एक निगरानी योजना तैयार करेगा और आवश्यकतानुसार उसे लागू करेगा। निदेशालय द्वारा उक्तानुसार तैयार प्रगति सूचना समय-समय पर शासन का दी जायेगी, जिसके द्वारा राज्य खेल नीति पर अधिक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जायेगा।